जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)
प्रेस–विज्ञप्ति

बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में साढ़े आठ करोड़ के राजस्व का निर्धारण

जयपुर, 06 मई। जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिये चलाए जा रहे सतर्कता जांच अभियान के तहत चालू वित वर्ष के प्रथम माह में सतर्कता दलों ने 9 हजार 134 स्थानों पर की गई जांच में 6 हजार 568 स्थानों पर बिजली चोरी एवं 2 हजार 566 स्थानों पर बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े है। इसके साथ ही 910 पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की भी जांच की गई है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि माह अप्रेल, 2015 में सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा पकड़े गए बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामलों में 8 करोड़ 59 लाख 51 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया। 1193 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर 906 मामलों में प्रशमन की कार्यवाही करते हुए एक करोड़ 44 लाख 71 हजार रुपए के राजस्व की वसूली कर ली गई है। बिजली चोरी के प्रकरणों में 32 को गिरफ्तार कर 18 मामलों में न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सतर्कता विंग के अधिकारियों द्वारा अप्रेल माह में 1016 जगहों पर जांच की गई, जिसमें 922 बिजली चोरी एवं 97 बिजली दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। पकड़े गए मामलों में सर्वाधिक 871 घरेलू बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। इसके बाद अघरेलू के 47, कृषि में 2 तथा 2 मामले मोबाईल टावर पर बिजली चोरी के पकड़े गए हैं। इन सभी मामलों में 2 करोड़ 65 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है

श्री भारद्वाज ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिये ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा अप्रेल माह में 8115 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें बिजली चोरी के 5646 मामले एवं बिजली दुरुपयोग के 2469 मामले पकड़े गए हैं। इन मामलों में 6 करोड़ 58 लाख 86 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 5646 मामलों में बिजली कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई है।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 218/2015